पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-07.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० मो० आफाक आलम, स०वि०स०	पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाकर 10,000 एकड़ में लगे अफीम के फसल को नष्ट कर देने के बाद माफियाओं ने भागलपुर, मुंगेर, गया समेत कई जिलों को नया क्षेत्र बनाया है । विगत दो वर्षों से भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव, गोपालपुर, इस्माइलपुर एवं घोघा थाना क्षेत्र के दियारा इलाकों में प्रतिबंधित अफीम की खेती की जा रही है । अंतर्राज्यीय माफिया एवं स्थानीय दबंगों द्वारा किसानों को प्रलोभन देकर इस वर्ष 50 एकड़ से अधिक जमीन पर अफीम की खेती की गई । दिनांक 24.02.2013 को छापेमारी में 40 एकड़ में अफीम की खेती का पर्दाफाश हुआ, जिससे संबंधित प्राथमिकी 06/2013 दिनांक 25.02.13 को इस्माइलपुर थाना में दर्ज हुई एवं आठ नामजद अभियुक्त बनाये गए । पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण कुछ किसानों ने फसल उखाड़कर साक्ष्य नष्ट करने के लिए खेत को भी जोत दिया । दियारा की जमीन का सालों से सर्वे नहीं होने के कारण दबंगों द्वारा पुलिस की मिलीभगत से सरकारी जमीन सहित विवादित जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है । अत: नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी मामले की उच्चस्तरीय जाँचकर दोषी पदाधिकारियों/व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई कर अफीम की खेती को समूल नष्ट करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	गृह (आरक्षी)

1	2	3	4
2.	श्री जितेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री हरिनारायण सिंह, स०वि०स० श्री श्रवण कुमार, स०वि०स० श्री अरूण मांझी, स०वि०स०	बिहार राज्य में राईस मिल्स का निर्माण कार्य पैक्सों एवं किसानों द्वारा किये जा रहे थे जिसमें एस.एफ.सी. द्वारा एकरारनामा के तहत 50 हजार रूपये लिये जाते रहे हैं, परन्तु वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त नियम को एस.एफ.सी. द्वारा परिवर्तित करते हुए राईस मिल्स के लिए कम से कम 6 लाख रूपये निर्धारित किये गए है जिससे किसानों एवं पैक्सों द्वारा इतनी बड़ी राशि का एकरारनामा बनाने में काफी असुविधा महसूस की जा रही है । पैक्सों एवं किसानों को इतनी बड़ी राशि एकरारनामें में देने में असमर्थ हो रहे हैं । अत: कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकरारनामे की 6 लाख निर्धारित राशि के बदले पूर्व में 50 हजार राशि का एकरारनामा बनवाने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/13- 217 / वि०स०, पटना, दिनांक- 6 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

06/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/13- 217 / वि०स०, पटना, दिनांक- 6 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

06/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।